APP-A

Crim-I

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** कोटा

मोहम्मद नईम **बनाम** सरकार

किस्म मुकदमा 136 L.R **नं.** ...... **सन्** 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
17/1/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी मोहम्मद नईम की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 28/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	
28/1/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कृषि आराजी खाता संख्या नया 289 पुराना 172 की खसरा नम्बर 730/498 रकबा 0.16 हैक्टर नहरी प्रथम क्रय कर दिनांक 18.11.2024 को उप पंजीयक प्रथम कोटा पंजीकृत करायी है। उक्त आराजी के ओटोमूटेशन में विभाग द्वारा मेरी जाति में मुसलमान के स्थान पर त्रुटिवश मन्सुरी मुसलमान तथा ग्राम बेहतेड के स्थान पर बीहट कर दिया गया है। उक्त त्रुटि टंकनीय है, विक्रय पत्र के विपरीत इन्द्राज हुआ है। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे सलंग्न विक्रय पत्र की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति मुसलमान एवं ग्राम बेहतेड़ होना चाहिए था। उक्त इंद्राज ऑनलाईन म्यूटेश प्रक्रिया द्वारा हुआ है। जो त्रुटिपूर्ण एवं विक्रय पत्र के विपरीत है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कृषि आराजी खाता संख्या नया 289 पुराना 172 की खसरा नम्बर 730/498 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद सलीम बेग जाति मन्सुरी मुसलमान निवासी ग्राम बीहट के स्थान पर मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद सलीम बेग जाति **मुसलमान निवासी ग्राम बेहतेड़** दर्ज किया जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 28/1/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटा) 28/1/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा	